रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 1981/आश्विन 6, 1903
No. 324] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 28, 1981/ASVINA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1981

सा. का. नि. 537 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना

सं 186 सीमा-शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 7 के स्तंभ (1) में "आंध्र प्रदेश" शब्दों के पश्चात् "और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 221/81-सी. शु./फा. सं. 437/3/79-सीमा 4]

जैड. बी. नगरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th September, 1981

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby make the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 186-Customs, dated the 4th August, 1981, namely :—

In the said notification, in column (1) of the TABLE, at S. No. 7, after the words 'Andhra Pradesh', the words 'and Union Territory of Pondicherry', shall be inserted.

[Notfn. No. 221/81-Cus/F. No. 437/3/79-Cus. IV]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981